

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम  
अह  
हुक्म

18/02/20 26

वै. धरो. पञ्जावली बिना / वकीलवादी  
उप. पार्थक पत्र पर बहस  
सुनी गई। बाद में बदल व  
अबले कुन पञ्जावली पार्थक पत्र 212  
RTI के अस्वीकार / खारिज की  
जाती है। पञ्जावली नम्बर से  
कम हो कर बाद प्रति मुलवाह  
के साथ संलग्न है।

पत्र 212 के अन्तर्गत पञ्जावली नम्बर 212 का RTI  
का अस्वीकार / खारिज किया गया है।  
उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न है।

पत्र 212 के अन्तर्गत पञ्जावली नम्बर 212 का RTI  
का अस्वीकार / खारिज किया गया है।  
उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न है।

18/02/20 26